रजिस्ट्री सं. डी.एल.–33002/99

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

REGISTERED No. D.L.—33002/99

दिल्ली राजपत्र
Delhi Gazette

असाधारण
EXTRAORDINARY
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 121] दिल्ली, मंगलवार, जुलाई 23, 2013/श्रावण 1, 1935 [रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 87
No. 121] DELHI, TUESDAY, JULY 23, 2013/SRAVANA 1, 1935 [N.C.T.D. No. 87

भाग—IV
PART—IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

भूमि एवं भवन विभाग
अधिसूचनाएं

दिल्ली, 23 जुलाई, 2013

सं. फा. 10(7)/08/भू.व भ./भू.अ./6335.—जबकि दिल्ली के उपराज्यपाल संतुष्ट हैं कि सार्वजनिक प्रयोजन एवं सार्वजनिक व्यय पर सरकार द्वारा द्वारका फेस-II के विस्तार हेतु भूमि प्राप्त किया जाना है। अत: इसके द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि निम्नलिखित इलाके में उक्त प्रयोजन के लिए भूमि अधिग्रहण किया जाना है।

यह घोषणा भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 की धारा 6 के अधीन सर्वसंबंधित के लिए प्रचालित की जाती है जिसके लिए भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1894 के द्वारा धारा 4 के अंतर्गत अधिसूचना संख्या एफ.10(7)/08/भू.व.भ./भू.अ.7404, दिनांक 27.04.2012 के द्वारा की जा चुकी है और उक्त अधिनियम की धारा 7 के उपबंधों के अधीन दिल्ली के भूमि अधिग्रहण कलेक्टर (दक्षिण-पश्चिम) को उक्त भूमि का अधिग्रहण के लिए आदेश लेने के लिए इसके द्वारा निर्देश दिया जाता है।

भूमि के नक्शे का अवलोकन दिल्ली के भूमि अधिग्रहण समाहर्ता (दक्षिण-पश्चिम), ओल्ड टर्मिनल टैक्स बिल्डिंग, कापसहेड़ा, दिल्ली के कार्यालय में किया जा सकता है।

विशिष्ट विवरण

गांव का नाम	कुल क्षेत्र (बीघ-बिस्वा)	सीमाओं के क्षेत्र संख्या	
		खसरा	क्षेत्र
धूल सिरस	54-01	15//22	4-16
		23	4-16
		43//11	4-16
		12	4-16
		13	4-16

18 min	2-16
19	4-16
20	4-16
21	4-13
22/1 min	0-2
23/1 min	0-2
44//15	4-16
16	4-10
25/1	2-12
26	0-6
56//1/2	0-12

LAND & BUILDING DEPARTMENT

NOTIFICATIONS

Delhi, the 23rd July, 2013

No. F. 10(7)/08/L&B/LA/6335.—Whereas, the Lt. Governor, Delhi is satisfied that land is required to be taken by Government at the public expense for a public purpose namely Sheet No. 1 Pocket A, Sheet No. 1, Pocket B, Bhakti Vedant Swami Marg. It is, hereby, notified that the land in the locality described in the specification below is likely to be acquired for the above purpose.

This declaration is made under the provisions of Section 6 of the Land Acquisition Act, 1894 in repsect of the land notified u/s., 4 of LA Act, 1894 vide Notification No. F.10(7)/08/L&B/LA.7404 dated 27.7.2012 to all whom it may concern. Under the provisions of Section 7 of the said Act, the Land Acquisition Collector (South), Delhi is hereby directed to take order for the acquisition of the said land.

A plan of the land may be inspected at the office of the Land Acquisition Collector (South West), Old Terminal Tax Building, New Delhi-37.

SPECIFICATION

Village	Total Area (Bigha-Biswa)	Field Nos. of Boundaries Kh. Nos.	Area
Dhool Siras	54-01	15//22	4-16
		23	4-16
		43//11	4-16
		12	4-16
		13	4-16
		18 min	2-16
		19	4-16
		20	4-16
		21	4-13
		22/1 min	0-2
		23/1 min	0-2
		44//15	4-16
		16	4-10
		25/1	2-12

	26	0-6
	56//1/2	0-12

सं. फा. 10(7)/08/भू.व भ./भू.अ./6336.—भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 की धारा 17 की उपधारा (1) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये दिल्ली के उपराज्यपाल भूमि अधिग्रहण कलेक्टर (दक्षिण-पश्चिम), नई दिल्ली को सहर्ष निर्देश देते हैं कि वे उक्त अधिनियम की धारा 9 की उपधारा 1 के अधीन इस सूचना के प्रकाशन के 15 दिन की समाप्ति पर ऐसी भूमि पर कब्जा कर ले जिसका विशिष्ट विवरण अधिसूचना संख्या 10 (7)/08/भू.व.भ./भू.अ./7404 दिनांक 27.7.2012 धारा 4 एवं 10(7)/08/भू.व.भ./भू.अ./6335 दिनांक 23.7.2013 धारा 6 में दिया हुआ है।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल के आदेश तथा नाम पर,

विनय कुमार, अतिरिक्त सचिव

No. F. 10(7)/08/L&B/LA/6336.—In exercise of the powers conferred by sub section (1) of section 17 of the Land Acquisition Act, 1894, the Lt. Governor, Delhi is pleased to direct the Land Acquisition Collector (South West), Delhi to take possession of land the specification of which is given in this notification u/s 4 No. F. 10(7)/08/L&B/LA 7404 Dated 27-7-2012 and u/s 6 No. F. 10 (7)/08/L&B/LA/6335 Dated 23-07-13 on expiration of 15 days from publication of the notice under sub-section (1) of section 9 of the said Act.

By Order and in the Name of the Lt. Governor of Delhi,

VINAY KUMAR, Addl. Secy.

विधि, न्याय एवं विधायी कार्य विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 23 जुलाई, 2013

सं. फा. 27/4/05-न्याय/Suptlaw/884-897.—दिल्ली विधिक सेवाएं प्राधिकरण नियमावली, 1996 के नियम 3 के साथ पठित विधिक सेवाएं प्राधिकरण अधिनियम, 1987, विधिक सेवाएं प्राधिकरण (संशोधन) अधिनियम, 2002 द्वारा यथासंशोधित की धारा-6 का अनुसरण करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल, दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से, दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीश श्री बदर दुरेज अहमद को न्यायाधीश श्री संजय किशन कौल के स्थान पर, जिनका स्थानान्तरण हो चुका है, दिल्ली उच्च न्यायालय में उनके कार्यकाल के दौरान, दिल्ली राज्य विधिक सेवाएं प्राधिकरण में, कार्यकारी अध्यक्ष मनोनीत करते है।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से तथा उनके नाम पर,

ए. एस. यादव, प्रधान सचिव

DEPARTMENT OF LAW, JUSTICE AND LEGISLATIVE AFFAIRS

NOTIFICATION

Delhi, the 23rd July, 2013

No. F. 27/4/05-Judl./Suptlaw/884-897.—In pursuance of the provisions contained in Section 6 of the Legal Services Authorities Act, 1987 as amended as amended by the Legal Services Authorities (Amendment) Act, 2002, read with rule 3 of the Delhi Legal Services Authorities Rules, 1996, The Lt. Governor, National Capital Territory of Delhi, in consultation with the Chief Justice of Delhi High Court, is pleased to nominate Mr. Justice Badar Durrez Ahmed, Judge High Court of Delhi as the Executive Chairman of the Delhi State legal Services Authority, during his tenure as a Judge of, Delhi High Court in place of Mr. Justice Sanjay Kishan Kaul, sine trnsferred.

By Order and in the Name of the
Lt. Governor of National
Capital Territory of Delhi,

A. S. YADAV, Prinicpal Secy.

शहरी विकास विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 23 जुलाई, 2013

सं. फा. 13(24)/यूडी/एमबी/2013/सीडी-000187301/18721.— दिल्ली नगर निगम अधिनियम, 1957 (1957 का 66) की धारा 3क की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार इसके द्वारा उक्त अधिनियम की चौदहवीं अनुसूची में यथाविनिर्दिष्ट वार्डों के समायोजन से कॉलम 5 में विनिर्दिष्ट पश्चिमी अंचल और दक्षिणी अंचल के क्षेत्रों में बढ़ोतरी तथा कटौती करती है और उस प्रयोजन के लिये निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :–

उक्त अधिनियम की चौदहवीं अनुसूची के क्रम संख्या 2 के वार्ड संख्या 119, 120 और 172 तथा इनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात् :–

"

क्र0 सं0	निगम का नाम	वार्ड संख्या	वार्ड का नाम	अंचल का नाम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2.	दक्षिणी दिल्ली नगर निगम	119	मिलाप नगर	पश्चिमी अंचल
		120	सीतापुरी	पश्चिमी अंचल
		172	किशनगढ़	दक्षिणी अंचल

"

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से तथा उनके नाम पर,

आर. के. श्रीवास्तव, सचिव

DEPARTMENT OF URBAN DEVELOPMENT

NOTIFICATION

Delhi, the 23rd July, 2013

No. F. 13(24)/UD/MB/2013/CD-000187301/18721.—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 3A of the Delhi Municipal Corporation Act, 1957 (66 of 1957), the Government of National Capital Territory of Delhi, hereby increases and diminishes the areas of the West Zone and South Zone Specified in column (5), by adjustment of Wards as specified in the Fourteenth Schedule of the said Act and for that purpose makes the following amendment, namely :--

In the Fourteenth Schedule of the said Act, in serial number 2 for the Ward numbers 119, 120 and 172 and the entries relating thereto, the following shall the substituted,namely:-

Sl. No.	Name of the Corporation	Ward No.	Name of the Ward	Name of the Zone
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	South Delhi Municipal Corporation	119	Milap Nagar	West Zone
		120	Sitapuri	West Zone
		172	Kishangarh	South Zone

By Order and in the Name of the Lt. Governor
of the National Capital Territory of Delhi,
R. K. SRIVASTAVA, Secy.

3255 DG/13-2

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.